

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 30/2024-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 2024

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नालिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

I. सारणी में,-

(1) क्रम सं. 6ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6खक.	0306 36	जीवित एसपीएफ वन्नामेई झींगा (लिटोपेनियस वन्नामेई) ब्रूडस्टॉक	5%	-	-
6खख.	0306 36	जीवित ब्लैक टाइगर झींगा (पेनेअस मोनोडोन) ब्रूडस्टॉक	5%	-	-
6खग.	0306 36 60	आर्टेमिया	शून्य	-	-
6खघ.	0308 90 00	एसपीएफ पोलीकीट वर्म्स	5%	-	-

6खड.	0505 10	बत्तख या गूस से प्राप्त रियल डाउन फिलिंग सामग्री, जब बोनाफाइड निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए कपड़ा या चमड़े के कपड़ों के निर्माण में उपयोग के लिए आयात किया जाता है	10%	-	9 और 108
6खच.	0511 91 40	आर्टेमिया सिस्ट्स	शून्य	-	-";

- (2) क्रम सं. 32कग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"32कघ.	1207 99 90	शिया नट्स	15%	-	-";

- (3) क्रम सं. 54क के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "शून्य" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (4) क्रम सं. 54क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"54ख.	1504 20	एक्वेटिक फीड के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा मछली का तेल	शून्य	-	9";

- (5) क्रम सं. 80क के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "शून्य" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (6) क्रम सं. 90ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को 1 अक्टूबर, 2024 से अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"90ग.	2008 19 20	सभी वस्तुएं	30%	-	-
90घ.	2008 19 30	सभी वस्तुएं	30%	-	-";

(7) क्रम सं. 100क के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “शून्य” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(8) क्रम सं. 104ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“104खक.	2301 10 90	एक्वेटिक फीड के उत्पादन में प्रयुक्त आर एंड डी के लिए, इन्सेक्ट मील	5%	-	9 और 119”;

(9) क्रम सं. 104घ के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “शून्य” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(10) क्रम सं. 104घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र. संख्यांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“104घक.	2309 90 31	प्रॉन और थ्रिम्प फीड	5%	-	-
104घख.	2309 90 39	फिश फीड	5%	-	-”;

(11) क्रम सं. 104ड के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “शून्य” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(12) क्रम सं. 104ड और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“104च.	2309 90 90	एक्वेटिक फीड के उत्पादन में प्रयुक्त आर एंड डी के लिए, प्राकृतिक गैस से बने सिंगल सेल प्रोटीन	5%	-	9 और 119”;

- (13) क्रम सं. 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"150.	2710	उर्वरकों के निर्माण के लिए नैफथा	शून्य	-	9";

- (14) क्रम सं. 179 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (15) क्रम सं. 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"204कक.	2929 10 90	स्पैन्डेक्स यार्न के निर्माण में उपयोग के लिए मेथिलीन डाइफेनिल डायइसोसाइनेट (एमडीआई)	5%	-	9";

- (16) क्रम सं. 212क के सामने, स्तंभ (3) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

- (17) क्रम सं. 213 के सामने, स्तंभ (3) में “ओषध और सामग्री” शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

- (18) क्रम सं. 219क के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (19) क्रम सं. 237 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“इथाइलीन विनायल एसीटेट (ईवीए) शीट या बैकशीट, जो सौर प्रकाशिक सेल या मोड्यूल के विनिर्माण में उपयोग किये जाते हैं, के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात्:-

- (i) ईवीए और पोल्योलेफिन एलास्टोमर्स (पीओई) रेजिन;
- (ii) ईवीए और पोल्योलेफिन एलास्टोमर्स (पीओई) मास्टरबैच;

- (iii) पाली इथिलीन टेरेफथालेट(पीईटी) फिल्म;
- (iv) पाली विनाइल फ्लोराइड (पीवीएफ);
- (v) पाली विनाइल डाई-फ्लोराइड (पीवीडीएफ);
- (vi) ईवीए या पीओई के लिए ट्राइमेथिलोलप्रोपेन ट्राई एक्रिलेट (टीएमपीटीए);
- (vii) ईवीए या पोल्योलेफिन एलास्टोमर्स (पीओई) एडिटिव - 'टाइक्रास';
- (viii) अधेसिव रेसिन; और
- (ix) अधेसिव हार्डनर:

परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

- (20) क्रम सं. 238 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (21) क्रम सं. 254 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (22) क्रम सं. 255 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (23) क्रम सं. 257ख के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर “निर्यात के लिए, कपड़ा या लेदर के परिधान के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सद्भावी निर्यातकों द्वारा आयातित सूची 39 में निर्दिष्ट वस्तुएं” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (24) क्रम सं. 257ग के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर “निर्यात के लिए लेदर या सिंथेटिक फुटवियर या अन्य लेदर के उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सद्भावी निर्यातकों द्वारा आयातित सूची 40 में निर्दिष्ट वस्तुएं” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (25) क्रम सं. 260 के सामने, स्तंभ (3) में,
  - (क) प्रविष्टि में, “9021 10” अंकों के पश्चात्, “या उपशीर्ष 9021 31 या 9021 39 के अधीन आने वाले शरीर के अन्य कृत्रिम भाग” शब्दों या अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
  - (ख) मद (iv) में “उच्च घनत्व पालीएथिलीन” शब्दों के स्थान पर, “सभी प्रकार के पॉलीएथिलीन” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (26) क्रम सं. 273 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"273क.	3920 (3920 99 99 के सिवाय) या 3921	पौली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्मस के अलावा अन्य सभी वस्तुएं स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, पीवीसी फ्लेक्स फिल्मस में पीवीसी फ्लेक्स बैनर और पीवीसी फ्लेक्स शीट सम्मिलित हैं ।	10%	-	-
273ख.	3920 99 99	पौली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) फ्लेक्स फिल्मस के अलावा अन्य सभी वस्तुएं स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, पीवीसी फ्लेक्स फिल्मस में पीवीसी फ्लेक्स बैनर और पीवीसी फ्लेक्स शीट सम्मिलित हैं ।	15%	-	-";

- (27) क्रम सं. 277क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (28) क्रम सं. 339 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (29) क्रम सं. 340 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (30) क्रम सं. 353 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (31) क्रम सं. 354 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (32) क्रम सं. 355 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (33) क्रम सं. 356 के सामने, स्तंभ (4) में, दोनों स्थानों पर, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (34) क्रम सं. 357 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (35) क्रम सं. 357क के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (36) क्रम सं. 357ख के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (37) क्रम सं. 364क के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (38) क्रम सं. 364ख के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (39) क्रम सं. 364ग के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (40) क्रम सं. 364ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"364गक.	7202 60 00	फेरो-निकिल	शून्य	-	-";

- (41) क्रम सं. 368 के सामने, स्तंभ (3) के, परन्तुक में, "30 सितम्बर, 2024" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2026" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (42) क्रम सं. 374 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"7225 11 00 या 7226 11 00 के अधीन आने वाले शीत वेल्लित दाना ओरिएंटेड स्टील (सीआरजीओ) के विनिर्माण में प्रयोग के लिए मैग्नीशियम आक्साइड (एमजीओ) विलेपित शीत वेल्लित स्टील क्वायल:

परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्टि कोई बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी";

- (43) क्रम सं. 375 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टैरिफ मद 7225 11 00 या 7226 11 00 के अधीन आने वाले शीत वेल्डित दाना ओरिएण्टेड स्टील (सीआरजीओ) के विनिर्माण में प्रयोग के लिए, निम्नलिखित माल, अर्थात् :-

- (i) तप्त वेल्डित क्वायल;
- (ii) मैग्नीशियम आक्साइड (एमजीओ) विलेपित और अनीलित इस्पात;
- (iii) तप्त वेल्डित अनीलित और अम्लौपचारित क्वायल;
- (iv) शीत वेल्डित पूर्ण कठोर;

परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी”;

- (44) क्रम सं. 380 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“380क.	7402 00 10	ब्लिस्टर कॉपर	शून्य	-	”;

- (45) क्रम सं. 381 के सामने, स्तंभ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “कॉपर वायर या रिफाइंड कॉपर जिसका अधिकतम क्रॉस सेक्शनल आयाम, फोटोवोल्टिक रिबन या टिंड कॉपर इंटरकनेक्ट या सेल इंटरकनेक्ट या स्ट्रिंग इंटरकनेक्ट या फोटोवोल्टिक कनेक्ट या फोटोवोल्टिक रिबन या फोटोवोल्टिक सेल या मोड्यूल के निर्माण के लिए सौर रिबन, के निर्माण के लिए 6 एमएम से अधिक है” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (46) क्रम सं. 387 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (47) क्रम सं. 403 के सामने, स्तंभ (3) के, परन्तुक में “30 सितम्बर, 2024” अंकों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2026” अंक और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (48) क्रम सं 404 के सामने, स्तंभ (2), में प्रविष्टि के स्थान पर “25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 56, 69,73, 74, 82, 84, 85, 87, 89 या 90” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (49) क्रम सं 415 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

"415.	84 या कोई अध्याय	(क) कैटेलिटिक कनवर्टर के विनिर्माण के लिए कैटेलिटिक कनवर्टर के पुर्जे (7110 में आने वाले प्लैटिनम और पैलेडियम से बने पुर्जों के अलावा)	7.5%	-	9
		(ख) कैटेलिटिक कनवर्टर या इसके पुर्जों के विनिर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) कच्चा सब्सट्रेट (सिरामिक) (ii) वाशकोटेड सब्सट्रेट (सिरामिक) (iii) कच्चा सब्सट्रेट (धातु) (iv) वाशकोटेड सब्सट्रेट (धातु) (v) स्टेनलेस स्टील वायर क्लॉथ स्ट्रिप (टैरिफ मद 7314 14 10 के अधीन आने वाले) (vi) वाश कोट	7.5%	-	9
		(ग) कैटेलिटिक कनवर्टर के निर्माण के लिए 7110 में आने वाले प्लैटिनम और पैलेडियम से बने कैटेलिटिक कनवर्टर के पुर्जे	5%	-	9";

- (50) क्रम सं 415क. के सामने, स्तंभ (4), में प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (51) क्रम सं. 419 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (52) क्रम सं. 420 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (53) क्रम सं. 421 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (54) क्रम सं. 426 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"426क.	कोई अध्याय	(i) टैरिफ मद 8541 42 00 के अंतर्गत आने वाले फोटोवोल्टिक सेल या टैरिफ मद 8541 43 00 के अंतर्गत आने वाले फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए सूची 41 में निर्दिष्ट वस्तुएं (ii) उपरोक्त मद (i) की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पुर्जे	शून्य	-	9";

(55) क्रम सं. 428 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(56) क्रम सं. 429 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(57) क्रम सं. 441 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;

(58) क्रम सं. 442 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(59) क्रम सं. 468 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु मद (i) से (iv) में अन्तर्विष्ट कोई बात 30 सितम्बर, 2024 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी;

परन्तु यह कि मद (v) में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

(60) क्रम सं. 475 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;

(61) क्रम सं. 478 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;

- (62) क्रम सं. 479 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (63) क्रम सं. 482 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (64) क्रम सं. 495 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (65) क्रम सं. 497 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (66) क्रम सं. 527क के सामने, स्तंभ (3) के, परन्तुक में, "30 सितम्बर, 2024" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मार्च, 2026" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (67) क्रम सं. 527ख के सामने, स्तंभ (3) के, परन्तुक में, "30 सितम्बर, 2024" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2026" अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (68) क्रम सं. 549 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।";
- (69) क्रम सं. 550 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।";
- (70) क्रम सं. 559 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"559.	कोई अध्याय	(क) शीर्ष/टैरिफ मद 8901, 8902, 8904 00 00, 8905 (टैरिफ मद 8905 20 00 को छोड़कर) या 8906 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चा सामग्री, घटक, उपभोग्य वस्तुएं और पुर्जे;	शून्य	-	9";

	<p>(ख) टैरिफ मद 8906 10 00 के अंतर्गत आने वाले माल के विनिर्माण के सम्बन्ध में उपयोग किये जाने वाले स्पेयर पुर्जे;</p> <p>(ग) टैरिफ मद 8906 10 00 के अंतर्गत आने वाले माल के विनिर्माण में आवश्यक मुद्रित या डिजिटल रूप में तकनीकी दस्तावेज</p> <p><i>स्पष्टीकरण.-</i> इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कच्ची सामग्रियों और पुर्जों के मामले में क्र.सं. 558 के अधीन आयातित एवं बिना प्रयोग के बचे हुए पुर्जों की दशा में,-</p> <p>(i) यूनिट, सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) निमयावली, 2022 के अधीन अधिकारिता रखने वाले उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को ऐसे माल के ब्यौरे और शीर्ष/टैरिफ मद 8901, 8902, 8904 00 00, 8905 (टैरिफ मद 8905 20 00 के सिवाय) या 8906 के अधीन आने वाले माल के विनिर्माण के लिए उपयोग करने का वचनबंध भी देते हुए पृथक् बांड प्रस्तुत करेंगी; और</p> <p>(ii) ऐसे माल का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए करने में असफलता की दशा में, यूनिट, मांग किये जाने पर ऐसे माल पर, किन्तु इस सूचना के अधीन छूट के लिए संदेय शुल्क के बराबर रकम का संदाय करेगी :</p>			
--	--	--	--	--

		परंतु इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात, 31 मार्च, 2025 के पश्चात् प्रवृत्त नहीं होगी ।			
--	--	---	--	--	--

(71) क्र.सं. 563घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"563ड.	9022 30 00	चिकित्सा, शल्य, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा में उपयोग के लिए एक्स-रे मशीन (9022 14 20 या 9022 14 90) के विनिर्माण में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब	5%	-	9 और 120
			7.5%	-	9 और 121
			10%	-	9 और 122
563च.	9022 90 90	चिकित्सा, शल्य, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनो (9022 14 20 या 9022 14 90) के विनिर्माण में उपयोग के लिए सिंटिलेटर सहित फ्लैट पैनल डिटेक्टर	5%	-	9 और 120
			7.5%	-	9 और 121
			10%	-	9 और 122";

(72) क्रम सं. 565 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;

(73) क्रम सं. 566 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;

(74) क्रम सं. 568 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;

(75) क्रम सं. 577 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस क्रम संख्या में अन्तर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी ।”;

- (76) क्रम सं. 579 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का 1 अक्टूबर, 2024 से लोप किया जाएगा;
- (77) क्र.सं. 607 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रवृत्त नहीं होगी।”;
- (78) क्र.सं. 607क के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रवृत्त नहीं होगी।”;
- (79) क्र.सं. 611 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रवृत्त नहीं होगी।”;
- (80) क्र.सं. 612 के सामने, स्तंभ (3) के अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
“परंतु इस क्रम संख्या में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2029 के पश्चात् प्रवृत्त नहीं होगी।”;
- II. दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -  
“परंतु यह और कि क्रम संख्यांको 17, 80क, 90, 104, 133,139, 150, 155, 164, 165, 172, 183, 184, 188, 191, 204, 253, 257, 257क, 257ख, 257ग, 258, 259, 260, 261, 265, 269, 271, 276, 279, 280, 290, 292, 293क, 296क, 326, 329, 333, 334, 345क, 364क, 378, 379, 380, 381, 392, 404, 415, 415क, 416, 417, 418, 422, 423, 426, 435, 442, 446, 451, 462, 463, 464, 464क, 467, 471, 472, 476, 477, 480, 489ख, 504, 509, 510, 511, 512, 512क, 515क, 516, 517, 519, 523क, 527, 534, 535, 535क, 536, 537, 538, 539, 539क, 540, 542, 543, 544, 546, 548, 551, 553, 555, 567, 569, 570, 575, 577, 578क, 580, 581, 583, 591 और 593 क्र.सं. के

सामने प्रविष्टियों में अंतर्विष्ट कोई बात 31 मार्च, 2026 के पश्चात् प्रभावी नहीं होगी।”;

III. उपाबंध में, -

(i) शर्त सं. 110 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

“110.	यदि आयातक आयात करते समय, सीमाशुल्क उपायुक्त या सीमाशुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता है: (i) किंबरले प्रोसेस प्रमाणन स्कीम (केपीसीएस) के अधीन जारी प्रमाणपत्र; (ii) आयातक यह प्रमाणित करते हुए वचनबद्ध होता है की आयातित माल, नॉट फर्दर वर्कड देन सिम्प्ली सॉन डायमंड, है; और (iii) निर्यातक और जेम तथा ज्वेलरी निर्यात प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) से यह दर्शित करते हुए कि प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर्ता है की आयातित माल, नॉट फर्दर वर्कड देन सिम्प्ली सॉन डायमंड, है।”;
-------	--

(ii) शर्त सं. 118 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शर्तों और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“119.	यदि आयातक, आयात करते समय, यथास्थिति सीमाशुल्क उपायुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को भारत सरकार के मत्स्य उद्योग विभाग में भारत सरकार के उप सचिव से अनिम्न रैंक के अधिकारी से प्रमाणपत्र देता है जो इस छूट के अनुदान की सिफारिश करता है और प्रमाणित करता है कि माल विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है।
120.	24 जुलाई, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक वैध
121.	1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक वैध
122.	1 अप्रैल, 2026 से वैध।”;

- (iii) सूची 1 में, मद संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(21) प्री डस्ट ब्रेडेड पाउडर”;

- (iv) सूची 4 में, मद संख्या 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(113) ट्रास्टुजुमाब देरुक्स्तेकान

(114) आसिमेरटिनिब

(115) डुरवालुमाब”;

- (v) सूची 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सूची और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“सूची 33 (सारणी के क्र.सं. 404 को देखें)

क्र.सं.	शीर्ष/टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7304	उपसाधन-, संयोजन, क्रोशओवर, योजक के साथ प्रिमियम क्रोमी केशिंग पाइप और/ट्यूबिंग, उप समुद्री पाइपलाइन जिसमें-सूची (अमेरिकन पेट्रोलियम संस्थान) ज की-त्र और उपाबंध-एपीआई के उपाबंध अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाली पाइपलाइन
2.	8207	भूमि बोरिंग और चट्टान प्रवेधन सामग्री के लिए प्रवेधन बिट
3.	8413, 8414, 8481, 842129, 843143, 847989, 847990, 842199, 730799, 854999, 853710, 841989, 842123	उपस्कर जैसे जल इंजेक्शन, गैस ट्रबाइन, उप सतही पंप और प्रक्रिया के लिए कंप्रेसर के सभी प्रकार और उत्पादन प्लेटफार्म तथा उपसतही पंप और चूषक रोड पंप-

		उच्च दाब वाल्व, एमईजी पुनर्ग्रहण के लिए उपकरण/इकाइयाँ और गैस निर्जलीकरण इकाई, गैस ईजन, गैस जेनेरेटर्स, फिल्टर्स और फिल्टर करने वाले उपस्कर, ऐमीन संयंत्र
4.	8430	तेल और गैस युक्ति पेट्रोलियम (अभितट) और गैस कुआ प्रवेधन मशीनरी और पेट्रोलियम प्रचालन अपतट और अभितट इकाई/के लिए विशेष सेवा हेतु उपस्कर
5.	8475, 848180	उच्च ताप वाल्व, समुद्र के भीतर वाल्व
6.	85311090	अग्निरोधक सिग्नलिंग उपकरण
7.	87053000	अग्निशमन वाहन
8.	8905, 898598, 890120, 890400, 732698, 732690, 890790, 560750, 731581, 401693, 847990, 401699, 732690, 843143	तेल और गैस रिग्स (अपतटीय), प्रसंस्करण और उत्पादन प्लेटफार्म और समुद्री जलयान और बार्ज जिसमें टग्स, सुरक्षा नाव, आवासन कार्य बार्ज, भूतकनीकी अन्वेषण और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण जलयान, सहायक जलयान, एफपीएसओ, टोरेट बोया मूरिंग प्रणाली, तेल और गैस रिग्स के लिए उपस्कर और विशेषीकृत सेवाएं, रिमोट प्रचालित यान, हल्के जलयान, ड्रेजेज, प्लवमान क्रेन और अन्य जलयान, जिसकी नाव्य परिवहनता उसके मुख्य कार्य की सहायक है, प्लवमान डोकस, प्लवमान और जलमग्नीय ड्रिलिंग या उत्पादन प्लेटफार्म , लंगर रस्सी, चेन , बेड़ी, युग्मीय समुद्री होज उत्प्लावकता मापांक और संसक्त उपस्कर
9.	8906 90 00	प्रदूषण नियंत्रण के लिए रक्षा नौका, उत्तरजीविता जलयान, रक्षा जलयान, जलयान
10.	8907	तेल भंडारण और संबंधित उपस्कर के लिए प्रयुक्त होने वाले तेल टैंकर, अन्य प्लवी संरचना उदाहरण के लिए बेडे), टैंक कोफर डैम, अवतरण स्टैज, बोयस और बेकन

11.	9015, 870590, 841350	पेट्रोलियम प्रचालन के लिए भू वैज्ञानिक-भौतिकी उपस्कर-और भू, लॉगिंग इकाई, वाहन पर लगी लॉगिंग इकाइयाँ, सर्वेक्षण जलयान अपेक्षा
12.	90200000	श्वास अनुप्रयोग और गैस मास्क
13.	90301000	अग्नि और गैस परिचय उपस्कर जिसमें एच 2एस मानिटरींग उपस्कर शामिल है
14.	2710 3811 3824 3905 3104 20 00 2915	तेल क्षेत्र रसायन अर्थात् पोटैशियम फार्मेट, खोखला शीशा, गोला श्रेणी -IV, जलीय फिल्म फोर्मिंग फोम 6% यू एस मिल, ग्लूटैरेल्डिहाइड, हाइड्राक्सीमिथाइल फास्फोनियम सल्फेट, अमोनियम परसल्फेट, विपायसक निम्न तापमान, पोटैशियम क्लोराइड, जेन्थिम गम पालीमर, तेल और गैस कुआं विनिर्दिष्ट सीमेंट योज्य और सीजियम फार्मेट
15.	732690, 391729, 730429	छेदन बंदूक/संवाहक और उपसाधन, कार्बन / जीआरई ड्रिल पाईपस, ड्रिल कालर्स
16.	730791, 731815, 843143, 842139, 730799, 731824, 848190, 848180, 730511, 854442, 730429, 730519, 730890, 843049, 731290, 731829, 820590	संरचनाओं, क्रिसमस ट्री, नियंत्रण प्रणाली सहित समुद्रतटीय/तटीय उत्पादन प्रणाली (जिसके अंतर्गत एचपीयू, ईपीयू, एमसीएस, टीयूटीयू, समुद्र के भीतर नियंत्रण माड्यूलस, पुनःप्राप्तीय उत्पादन माड्यूलस भी है), टाई-इन प्रणाली, जंपर, एचआईपीपीएस, इलैक्ट्रिकल / फाइबर ऑप्टिक और इस्पात फ्लाइंग लीड्स, गूसनेक, पीएलईटीएस, एसएसआईवीस, आईएलएस, पीएलआर, वेल हेड, अम्बिलिकल्स, मैनिफोल्ड्स, फाउंडेशन पाइल्स, होल्ड बैक सिस्टम, एंकर पाइल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल, फ्लैक्सिबल रीजर्स एवं फ्लोलाइन, बकल एरेस्टर्स, बैंड रेस्ट्रिक्टर्स, अम्बिलिकल्स समाप्ति प्रमुख, बैंड स्टिफनर कनेक्टर्स, सेपरेटर्स
17.	847990, 401693, 843143,	लॉगिंग इकाई और औजारों में प्रयुक्त

	392690, 741529, 843139; 731815; 841221; 842129; 847989, 843049, 850511, 732690	वायरलाइन फिशिंग उपस्कर और इस्पात उपसाधन
18.	741920, 741999, 741980	कापर की वस्तुएं
19.	340290, 340239, 391390, 250810, 382499, 250840, 271019	वैलबोर सफाई में प्रयुक्त सर्फेक्टेंट साल्वेंट (सूक्ष्म इम्लशन), जल आधारित विस्कोसिफायर, संश्लिष्ट तेल आधारित प्रवाहिकी रुपांतरक, एसओबीएम में प्रयोगतव्य आधार तेल, संश्लिष्ट तेल आधारित प्रवाहिकी रुपांतरक और वेटिंग एजेंट, कंवेशनल और एचटीएचपी वैल स्थिति के लिए आरगेनेफिलीज क्ले
20.	390290, 340399, 392690, 39139090, 29053990, 271019, 382499, 843143, 847989, 820559	उपकरण/बंदूक के जोड़ों को छिद्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष लुब्रिकेंट, डाउन होल लॉगिंग टूल में उपयोग किया जाने वाला सिलिकॉन तेल, हीट श्रिंक स्लीव और हैंडलिंग औजार, गो-डेविल-II, ब्ल्यू स्ट्रीक, हाइपर ग्राफ ल्यूब, स्पेशल हैंडलिंग औजार
21.	360200, 360320, 360360, 902789, 360300, 340399, 350691, 69149000	छिद्रन विस्फोटक, थ्रेड/सिलिकान गीस, स्पेशल थ्रेड लाकर आरटीवी एडहेसिव, 12000पीएसआई की दर से दो प्रतिशत से कम कुचलनीयता वाले 30/50 और 40/70 जाल के साथ हल्के वजन वाला उच्च शक्ति का प्रोपेंट
22.	903090, 284444, 284443, 284440	रेडियोधर्मी अवशेष
23.	73, 84, 85, 87, 89 and 90	कलपुर्जे, सहायक उपकरण, औजार, उपभोग्य, जोड़े जाने योग्य भाग, परीक्षण उपकरण, स्टोर, पुर्जे, अपेक्षित साफ्टवेयर और क्रम सं. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 पर विनिर्दिष्ट भागों के लिए माल भेजने, मरम्मत या रखरखाव के लिए

		सहायक उपकरण
24.	852380	पेट्रोलियम परिचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर”;

(vi) सूची 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, प्रविष्टियों की निम्नलिखित सूचियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

**“सूची 39 (देखें सारणी की क्रम संख्या 257ख)**

- (1) फास्टनर्स, बटन्स एंड स्नेप फास्टनर्स सहित, ज़िप फास्टनर्स
- (2) इनले कार्ड्स
- (3) बकल, आईलेट्स, हुक्स एंड आईज, रिबेट
- (4) कालर शतायुष, कालर पेटिस, बटरफ्लाई एंड अदर गारमेंट स्टेस इन्क्लूडिंग प्लास्टिक स्टेस
- (5) कढ़ाई के रूपांकन या प्रिंट
- (6) लेस
- (7) कढ़ाई युक्त बैजों को सम्मिलित करते हुए बैज
- (8) सेक्विन
- (9) टोगल
- (10) स्टड्स
- (11) प्रिंटेड बैग्स
- (12) चोरी विरोधी उपकरण जैसे कि लेबल, टैग और सेंसर
- (13) पाली पाउच, उच्च घनत्व स्टिकर, हीट ट्रांसफर स्टीकर
- (14) ड्रॉ स्ट्रिंग्स-हुडेड जैकेट पर एगलेट्स
- (15) पैकिंग के लिए पिन बुलेट, प्लास्टिक टैग बुलेट, धातु टैग, बोज़, रिंग एंड स्लाइडर एंड रिंग्स
- (16) अस्तर और अंतर अस्तर सामग्री
- (17) वेट ब्लू क्रोम टैन्ड लेदर
- (18) वेट वाइट लेदर
- (19) क्रस्ट लेदर
- (20) सभी प्रकार का तैयार लेदर
- (21) सुदृढीकरण सामग्री
- (22) सभी प्रकार के लेबल या मूल्य टैग या हैग टैग
- (23) पोलियूरीथेन
- (24) ड्रा कॉर्ड या कॉर्ड

- (25) इलास्टिक बैंड या टेप
- (26) धातु टैब या स्टापर या क्लिप
- (27) टेप
- (28) वेल्क्रो टेप
- (29) डाई सेट
- (30) डी-रिंग

**सूची 40 (देखें सारणी की क्रम संख्या 257ग)**

- (1) बक्कल "डी" रिंग्स और "ओ" रिंग्स, आईलेट्स, हुक्स एंड आईज, रिवेट्स, स्टड्स, सजावटी फिटिंग और मेटल ट्रिमिंग्स
- (2) बटन और स्नैप फास्टेनर्स, जिप फास्टेनर्स
- (3) चुंबकीय तालों को सम्मिलित करते हुए ताले
- (4) धातु के हैंडल, हैंडल फिटिंग, हैंडल होल्डर, मेटल फ्रेम, डॉग हुक्स, समस्त प्रकार के लोगो, रिंग बाइंडर्स, की हुक्स, की रिंग्स, की होल्डर्स, पुश क्लिप, चेन, पुलर्स, पुलर्स के पुर्जे, कब्जे और चुंबकीय स्नैप
- (5) लूप रिवेट्स और लूप ओवेल
- (6) पैकेजिंग बक्से
- (7) सैडल ट्री
- (8) फिटिंग्स, धातुओं या मिश्र धातुओं के स्नैप्स
- (9) मेटल फिटिंग्स, एम्बेलिशमेंट्स, वेबबिंग ऑफ एनी मटेरियल
- (10) स्टिरप ऑफ एनी मटेरियल एंड स्टिरप बार्स यूज्ड फॉर मेकिंग सैडल ट्री
- (11) कृत्रिम फर और अलार्म टैग
- (12) लेदर के माल में प्रयोग के लिए चुंबक
- (13) लेबल या मूल्य का टैग या लटकाने वाला टैग
- (14) वेट ब्लू क्रोम टैन्ड लेदर
- (15) वेट वाइट लेदर
- (16) क्रस्ट लेदर
- (17) समस्त प्रकार का तैयार लेदर
- (18) सुदृढ़ीकरण सामग्री
- (19) अस्तर या अंतर अस्तर सामग्री (सिंथेटिक या पॉलीविनाइल क्लोराइड या पोलियूरीथेन या टैक्सटाइल)
- (20) लेस
- (21) इन्सोल या मिड सोल और शीट या उसका बोर्ड
- (22) शैंक बोर्ड

- (23) स्टीफेनेर्स
- (24) पोलीयूथेरेन के यूनिट सोल और शीट, थर्मोप्लास्टिक रबर, पोली विनाइल क्लोराइड, पॉलीयुरेथेन थर्मोप्लास्टिक, फाइलोन, नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर, पॉलीयुरेथेन पेंट सहित तलवों के लिए स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर, कलर पेस्ट एंड पिगमेंट्स
- (25) थर्मोप्लास्टिक शीट्स
- (26) टौ कैप्स और टौ पफ्स और काउंटर
- (27) सिंथेटिक या पोलीमरिक फोम
- (28) प्रोटोक्विटव स्टील टौ कैप और स्टील मिड सोल
- (29) हील्स
- (30) रिफ्लेक्टिव टेप या फैशन टेप या इलास्टिक टेप या वैलेरो टेप
- (31) सजावट के सामान के लिए चैटोन्स या स्टोन्स या बीड्स या क्रिस्टल्स
- (32) बीडिंग मटेरियल (सिंथेटिक या चमड़ा या फैब्रिक)
- (33) पॉलीयुरेथेन

**सूची 41 (देखें सारणी की क्रम संख्या 426क)**

- (1) सोलर सेल टैबर एंड स्ट्रिंगर मशीन विथ या विथाउट ऑटोमेशन
- (2) स्वचालित लैमिनेटिंग और तप्प दबाव औजार
- (3) एलेक्ट्रॉलुमिनेसेन्ट एंड विमुअल इंस्पेक्शन मशीन्स
- (4) सन सिम्युलेटर या फ्रलैश टेस्टर
- (5) ऑटो बुसिंग एंड सोल्डरिंग टूल्स
- (6) लेज़र कटिंग मशीन
- (7) आई क्यू सी लैब एंड रिलायबिलिटी चैम्बर टूल्स
- (8) सौर मोड्यूल आधारित विनिर्माण के लिए स्वचालित लाइन
- (9) वैफर निरीक्षण कैमरा या यंत्र
- (10) वैफर टेक्सचर यंत्र
- (11) वैफर पोलिशिंग यंत्र
- (12) सौर सेल विनिर्माण के लिए स्वचालित लाइन
- (13) प्लाज्मा एनहांसड केमिकल वेपर डेपोज़िशन (पीईसीवीडी) यंत्र
- (14) निष्क्रियता टूल्स
- (15) लेज़र डिटेक्टिव सेलेक्टिव एमिटर (एल.डी.एस.ई.) यंत्र
- (16) मुद्रण यंत्र (लाइन)
- (17) उपशमन या गैस प्रशोधन प्रणाली
- (18) सभी प्रकार की बोट या कैरियर, ग्रेफाइट, क्वार्टज, सिलिकान कार्बाइड बोट और बोट क्लीनिंग टूल्स

- (19) वेफर सफाई यंत्र
- (20) सेल परीक्षक और श्रेणीबद्ध करने वाला यंत्र
- (21) रीवर्क टूल्स
- (22) अति शुद्ध जल उत्पादन का प्रोसेस यूनिट
- (23) सेमी कंडक्टर ट्रीटमेंट यूनिट
- (24) सबस्ट्रेट क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट यूनिट
- (25) रासायन वितरण यूनिट
- (26) रासायन अनुप्रयोग यूनिट
- (27) सेल डेफिनिशन
- (28) मॉड्यूल फिनिशिंग यूनिट
- (29) इंसपेक्शन मेज़रमेंट सिस्टम्स”।

2. अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2024- टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. संख्यांक 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार सा.का.नि. संख्यांक 395(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2024 द्वारा अधिसूचना सं. 28/2024-सीमाशुल्क, दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा संशोधित की गई थी ।